सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 479 राँची ,बुधवार

2 आश्विन 1936 (श०)

24 सितम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

22 सितम्बर, 2014

1. आयुक्त, द0छो0 प्रमंडल, राँची का पत्रांक-58/स्था0 गो0, दिनांक 28 जून, 2006

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-4312, दिनांक 17 अगस्त, 2006, पत्रांक-1709, दिनांक 30 मार्च, 2011, पत्रांक-3474, दिनांक 11 अप्रैल, 2014 एवं संकल्प सं0-1838, दिनांक 28 मार्च, 2008

3. श्री विष्णु कुमार, भा0प्र0से0, तत्कालीन प्रधान सचिव, सांस्थित वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-1279, दिनांक 9 दिसम्बर, 2009

संख्या-5/आरोप-1-2/2014 का.-9500--श्री अमेरिकन रविदास, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 499/03, गृह जिला- हजारीबाग), के विरूद्ध तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित आयुक्त, द0छो0 प्रमंडल, राँची के पत्रांक-58/स्था0 गो0, दिनांक

28 जून, 2006 के द्वारा आरोप प्रपत्र- 'क' प्राप्त है। श्री रविदास के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

वित्तीय वर्ष 2004-05 में मुख्य शीर्ष 2245-"दैविक विपत्तियों" के अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु सिमडेगा प्रखण्ड के लिए द्वितीय किश्त में जिला गोपनीय शाखा के पत्रांक-428(ii)/गो0, दिनांक-19 मार्च, 2005 द्वारा 12 तालाबों के निर्माण हेतु प्रति तालाब 85,300 रूपये की दर से 10,23,600 रू0 सिमडेगा प्रखण्ड को उपलब्ध कराया गया था, जिसकी निकासी विपत्र सं0-92/2004-05 एवं टी0भी0 नं0-3/31.03.2005 है। किन्तु द्वितीय किस्त में प्राप्त 12 तालाबों के स्वीकृत योजना का न तो अभिलेख संधारित ही किया गया है और न ही योजना प्रारम्भ किया गया है। उक्त राशि की बैंक से निकासी के उपरान्त नजारत में कोई लेखा-जोखा संधारित नहीं है। इस प्रकार कोषागार से विपत्र पारित कराकर बैंक से राशि निकासी कर सरकारी राशि गबन कर लिया गया है।

2. विभागीय पत्रांक-4312, दिनांक 17 अगस्त, 2006 द्वारा श्री रविदास से प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री रविदास के पत्रांक-29/मु0, दिनांक 21 अगस्त, 2006 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री रविदास के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं0-1838, दिनांक 28 मार्च, 2008 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विष्णु कुमार, भा0प्र0से0, तत्कालीन आयुक्त, द0छो0 प्रमंडल, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री विष्णु कुमार, भा0प्र0से0, तत्कालीन प्रधान सचिव, सांस्थित वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1279, दिनांक 9 दिसम्बर, 2009 द्वारा श्री रविदास के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें अंकित है कि उपायुक्त, सिमडेगा द्वारा मार्च 2005 में मुख्य शीर्ष 2245 (दैविक विपत्तियाँ) के अंतर्गत सिमडेगा प्रखण्ड को आवंटित 10,23,600 रूपये की राशि की निकासी करके उसका गबन किया गया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा के रूप में इस राशि संधारण में अनियमितता बरती गयी है, किन्तु यह कहना कठिन है कि इस राशि का गबन आरोपित पदाधिकारी द्वारा किया गया है, क्योंकि श्री बीजू बड़ाईक, प्रखण्ड नाजिर दिनांक-30 अप्रैल, 2005 से प्रखण्ड से संबंधित रोकड़ पुस्त लेकर फरार हैं तथा इसके लिए उनके विरूद्ध सिमडेगा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अतः जब तक श्री बड़ाईक के विरूद्ध सिमडेगा थाना में प्राथमिकी सं0-40/2005 में आरोप पत्र समर्पित नहीं हो जाता, तब तक आरोपित पदाधिकारी को प्रश्नगत राशि के गबन के लिए दोषी नहीं माना जा सकता।

5. श्री रविदास के विरूद्ध आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-3604, दिनांक-1 जुलाई, 2011 द्वारा उपायुक्त, सिमडेगा से सिमडेगा थाना काण्ड सं0-40/2005 की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया गया एवं अनुवर्ती स्मार-पत्रों द्वारा स्मारित भी किया गया।

6. उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-659(ii)/स्था0, दिनांक-22 नवम्बर, 2012 द्वारा सूचित किया गया कि सिमडेगा थाना काण्ड सं0-40/2005 के अभियुक्त श्री बीजू बड़ाईक के विरूद्ध दर्ज मामला मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिमडेगा में विचाराधीन है। उक्त वाद में श्री बड़ाईक के विरूद्ध दिनांक-31 मार्च, 2012 को आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

7. तत्पश्चात्, विभागीय पत्रांक-328, दिनांक-11 जनवरी, 2013 द्वारा उपायुक्त, सिमडेगा से अमेरिकन रविदास के विरूद्ध दर्ज थाना काण्ड सं0-67/2008 की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-697(ii)/स्था0, दिनांक-17 सितम्बर, 2013 द्वारा सूचित किया गया कि सिमडेगा पुलिस द्वारा दिनांक-31 जुलाई, 2011 को उक्त थाना काण्ड में आरोप पत्र समर्पित किया गया है। पुनः, उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-992(ii)/स्था0, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 द्वारा सिमडेगा थाना कांड सं0-67/08 एवं कांड सं0-40/05 में समर्पित आरोप पत्र की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उल्लेख है कि संबंधित न्यायालय में पुलिस के द्वारा श्री रविदास के विरूद्ध मामला सत्य पाते हुए Final Form दायर किया जा चुका है।

8. उपायुक्त, सिमडेगा के प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री रविदास के विरूद्ध राशि के दुर्विनियोग एवं इसके संधारण में लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित माना गया। तद्नुसार प्रमाणित आरोपों हेतु इनकी दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव गठित किया गया और विभागीय पत्रांक-3474, दिनांक 11 अप्रैल, 2014 द्वारा श्री रविदास से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

9. श्री रविदास के पत्र, दिनांक 25 अप्रैल, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया।

10. श्री रविदास के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव-बयान, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन तथा इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, श्री रविदास के विरूद्ध राशि के दुर्विनियोग एवं इसके संधारण में लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित मानते हुए इनकी दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से पर रोक लगाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 479–50 ।